न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : विनय पाठक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2018 दायर दिनांक–16.02.2018
निर्णय दिनांक–14.01.2019

श्री रघुनाथ पिता धुलजी मोड पटेल निवासी साकोदरा
तहसील चिखली जिला डूंगरपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

नाथुराम पिता लालजी पटेल निवासी साकोदरा वगैराह–2
तहसील चिखली जिला डूंगरपुर

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :

1.श्री नरेश जोशी अभिभाषक वास्ते अपीलान्ट
2.श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक वास्ते रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

इस प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार चिखली के द्वारा मौजा साकोदरा के खसरा नंबर 1353 रकबा 0.04 बीघा किस्म रास्ता की भूमि को रेस्पो. श्री नाथूराम पिता लालजी पटेल निवासी साकोदरा को संग्रह स्थल हेतु दिनांक 10.10.2016 को आवंटन करने से उक्त आवंटित भूमि किस्म रास्ता की होना एवं उक्त रास्ते की भूमि पर से अपीलान्ट अपने खातेदारी की भूमि पर आने–जाने का उपभोग करना बताते हुए उक्त आदेश दिनांक 10.10.2016 को निरस्त कराने एवं निर्माण कार्य को ध्वस्त करने हेतु यह अपील पेश की है।

प्रकरण इस न्यायालय मे पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. को वास्ते जवाबदेही हेतु जरिये नोटीस तलब किया गया। रेस्पों. ने अपनी आरे से जवाब पेश करते हुए बताया कि प्रार्थी (अपीलान्ट) की ओर से माननीय सीविल न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर रखा है। जिसका प्रकरण संख्या 26/2017 ई.दी. है जो विचाराधीन है। विवादित भूमि पर विपक्षी का विगत 50 वर्षो से कब्जा है तथा उसकी पेनाल्टी जमा करा रहा है। उक्त भूमि पर विपक्षी खलियान के रूप मे उपभोग करता है क्यों कि इसके पास ही विपक्षी की काश्त की जमीन है तथा पुराना कब्जा होने से तहसीलदार साहब ने संग्रह स्थल हेतु भूमि का आवंटन विपक्षी को किया गया है जो कि नियमानुसार आवंटन की गयी है। अपीलान्ट द्वारा मात्र विपक्षी को परेशान करने के लिये यह अपील पेश की गयी है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की अपील को निरस्त करने का आदेश पारित किया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस उभय पक्षों की समायत की गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी ओर से बहस के दौरान बताया है कि अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी नंबर 1280 से लगती हुई आराजी नंबर 1353 रास्ते मे आना जाना कृषि साधन लाना ले जाना गत 30 वर्षो से अधिक समय से करता आ रहा है लेकिन रेस्पों. द्वारा इसमे अवरोध पैदा करता है। ग्राम साकोदरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

के खसरा नंबर 1353 मे से रकबा 0.04 बीघा किस्म रास्त की भूमि को तहसीलदार साहब चिखली के द्वारा रेस्पो. को संग्रह स्थल हेतु दिनांक 10.10.2016 को आवंटन कर दी गयी जो नियमों के विपरित है क्योंकि रास्ते की भूमि को संग्रह स्थल हेतु आवंटन करने का नियमों मे प्रावधान नही है। रेस्पो. द्वारा उक्त रास्ते की भूमि पर पक्का निर्माण कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है अपीलान्ट द्वारा कार्य रूकवाने हेतु तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत को लिखित मे प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी निर्माण कार्य को नही रूकवाने से अपीलान्ट द्वारा माननीय सीविल जज साहब सीमलवाडा के न्यायालय मे वाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया जो वर्तमान मे भी लागू है। अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार के तहत उक्त आवंटन आदेश के संबंध मे तहसीलदार चिखली से जानकारी प्राप्त की तो उनके द्वारा दिनांक 18.01.2018 को जानकारी दी गयी कि इस तरह के आवंटन की कोई पत्रावली उनके कार्यालय मे रक्षित नही है। रेस्पों. अभी भी उक्त रास्ते की भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। राजस्थान भू–राजस्व (संग्रह स्थलो हेतु भूमि आवंटन) नियम 1961 की धारा–4 मे स्पष्ट उल्लेख है कि सड़क की भूमि का आवंटन नही किया जा सकेगा।

इस संबंध मे दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने उक्त आवंटन नियम 1961 की छाया प्रति पेश करते हुए न्यायालय का ध्यान आकृषित कराते हुए बताया कि रेस्पो. को उक्त आवंटन नियमों के विपरित किया गया है। अतः उक्त आवंटन आदेश दिनांक 10.10.2016 को निरस्त करने का आदेश पारित किया जावें।

विद्वान वकील रेस्पो. ने अपनी ओर से बहस मे दौरान बताया है कि प्रार्थी (अपीलान्ट) की ओर से माननीय सिविल न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर रखा है। जिसका प्रकरण संख्या 26/2017 ई.दी. है जो विचाराधीन है। विवादित भूमि पर विपक्षी का विगत 50 वर्षो से कब्जा है तथा उसकी पेनाल्टी जमा करा रहा है। उक्त भूमि पर विपक्षी खलियान के रूप मे उपभोग करता है क्यों कि इसके पास ही विपक्षी की काश्त की जमीन है तथा पुराना कब्जा होने से तहसीलदार साहब ने संग्रह स्थल हेतु भूमि का आवंटन विपक्षी को किया गया है जो कि नियमानुसार आवंटन की गयी है। अपीलान्ट द्वारा मात्र विपक्षी को परेशान करने के लिये यह अपील पेश की गयी है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की अपील को निरस्त करने का आदेश पारित किया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर एवं उभयपक्षों की ओर से बहस मे दी गयी दलीलों पर गोर से मनन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्राम साकोदरा के आराजी नंबर 1353 रकबा 0.04 बीघा किस्म रास्ता की भूमि को तहसीलदार चिखली के द्वारा रेस्पों. को संग्रह स्थल हेतु दिनांक 10.10.2016 को आवंटन कर दी गयी। राजस्थान भू–राजस्व (संग्रह स्थलो हेतु भूमि आवंटन) नियम 1961 की धारा–4 के प्रावधानों के विपरित होकर के रास्ते की भूमि का उक्त प्रयोजनार्थ आवंटन नही किया जा सकता है। तहसीलदार चिखली ने नियमों के विपरित उक्त भूमि रेस्पों. को आवंटन की गयी है जो काबिले खारिज है। इसके अलावा उक्त भूमि से संबंधित वाद माननीय सिविल न्यायालय सीमलवाडा के न्यायालय मे विचाराधीन है ऐसी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

स्थिति मे तहसीलदार चिखली को इसकी जानकारी होते हुए भी रास्ते की भूमि का आवंटन रेस्पों. को कर दिया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करते हुए तहसीलदार चिखली के द्वारा ग्राम साकोदरा की आराजी नंबर 1353 रकबा 0.04 बीघा किस्म रास्ता की भूमि को संग्रह स्थल हेतु रेस्पों. नं.1 को दिनांक 10.10.2016 को आवंटन की गयी भूमि का आवंटन अदेश को निरस्त करने के आदेश दिये जाते है एवं तहसीलदार चिखली को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त खसरा नंबर 1353 किस्म रास्ते की भूमि पर से अतिक्रमी को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बेदखली की कार्यवाही करे एवं उक्त भूमि पर किये गये निर्माण कार्य को ध्वस्त करने की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनय पाठक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर